न्यूज़ टुडे

प्रधान मंत्री द्वारा अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई

- स्थापत्यकला की **नागर शैली** के आधार पर इस मंदिर का निर्माण किया जाएगा।
- मंदिर स्थापत्य की नागर शैली **उत्तर भारत में प्रचलित** है। ओडिशा, खजुराहो आदि क्षेत्रों में निर्मित मंदिरों के आधार पर नागर शैली को **भिन्न–भिन्न उप–शैलियों में विभाजित** किया गया है।
- **नागर शैली की वास्तुकला के तत्व:**
  - **गर्भगृह**– लघु कक्ष, जहाँ मंदिर के प्रमुख देवी/देवता को प्रतिष्ठापित किया जाता है।
  - **मंडप**– यह मंदिर के प्रवेश द्वार के निकट एक बरामदा या सभागार होता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो सकते हैं।
  - **शिखर**– पर्वतनुमा संरचना, जो पिरामिड से लेकर वक्राकार आदि विभिन्न आकार का हो सकता है।
  - **वाहन**– मुख्य देवता का आसन, जिसे सामान्यतया गर्भगृह से दृष्टिरेखीय स्थिति में (दर्शन के लिए) रखा जाता है।
- नागर शैली में, **मंदिर का निर्माण सामान्यतः एक ऊंचे चबूतरे** पर किया जाता है, जिसे **जगती** कहा जाता है। गर्भगृह के समक्ष मंडप स्थित होते हैं। ये शिखर **(राम मंदिर में फमसाणा–शैली)** से सुशोभित होते हैं। सबसे ऊंचा शिखर गर्भगृह के ऊपर स्थित होता है।
  - **उदाहरण:** खजुराहो मंदिर समूह, मोढेरा का सूर्य मंदिर आदि।
- दक्षिण भारत के मंदिरों के विपरीत, नागर शैली में सामान्यतः **विस्तृत परिधीय भित्तियां या प्रवेश द्वार (जिन्हें 'गोपुरम' कहा जाता है) नहीं** होते हैं।
  - सामान्यतः, नागर शैली के **मंदिर परिसरों में जलाशय नहीं** होते हैं और गर्भगृह के चारों ओर छत से ढका प्रदक्षिणा पथ होता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) बड़े कॉर्पोरेट्स को बैंक लाइसेंस प्रदान नहीं करने के अपने रुख पर कायम है

- भारत सरकार नई निजीकरण नीति की योजना बना रही है। इसी संदर्भ में RBI ने सरकार को यह सूचित किया है कि वह बड़े कॉर्पोरेट्स को बैंकों की स्थापना करने से प्रतिबंधित करने के अपने मत पर कायम है।
- **RBI की चिंताएं:**
  - **धन के प्रवाह (money trail) और इसके अंतिम उपयोग** की निगरानी करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
  - **कंपनियां कॉर्पोरेट गवर्नेंस ढांचे की उपेक्षा करने के तरीके खोज सकती हैं,** जिसके कारण बैंकिंग क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता के समक्ष जोखिम उत्पन्न हो सकता है।
  - **अधिकांश विकसित देशों** ने भी (विशेषकर वर्ष 2008–09 के वैश्विक वित्तीय संकट के पश्चात्) बड़े व्यावसायिक घरानों के स्वामित्वाधीन या उनके नियंत्रणाधीन बैंक मॉडल को समाप्त कर दिया है।
- इसके स्थान पर, RBI **शक्तियों और निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत करने तथा कॉर्पोरेट गवर्नेंस में वृद्धि करने हेतु बैंकों में व्यापक संस्थागत स्वामित्व बनाए रखने के लिए** तैयार है।
  - **संस्थागत स्वामित्व** का आशय म्यूचुअल/पेंशन फंड्स, बीमा कंपनियों आदि द्वारा धारित किसी कंपनी के शेयरों के स्वामित्व से है।
- इसके विपरीत, **हाल ही में नीति आयोग ने सरकार से अनुशंसा की थी** कि बैंकिंग क्षेत्र में **दीर्घकालिक निजी पूंजी** की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए।
  - साथ ही, नीति आयोग ने कुछ ऐसे चयनित **औद्योगिक घरानों** को बैंकिंग लाइसेंस प्रदान करने का सुझाव दिया है, जिन्होंने अपने समूह की कंपनियों को ऋण प्रदान नहीं किया हो।

कोविड–19 के कारण डेटा केंद्रों की मांग में वृद्धि हुई है

- डेटा केंद्र वे **केंद्रीकृत स्थान हैं जहां** वृहद मात्रा में डेटा संग्रहण, भंडारण, प्रसंस्करण, वितरण या उन तक पहुँच स्थापित करने की अनुमति प्रदान करने के उद्देश्य से **कंप्यूटिंग और नेटवर्किंग उपकरण** स्थापित किए जाते हैं।
  - क्लाउड के तीव्र अंगीकरण, डिजिटल लेन–देन और ई–कॉमर्स में वृद्धि के कारण वर्ष 2014 से, भारत में डेटा संग्रहण आठ गुना बढ़कर 2.8 ज़ेटाबाइट्स (zettabytes) हो गया है।
- कोविड–19 प्रेरित लॉकडाउन के कारण, **डेटा सेंटर्स की क्षमता के उपयोग में 25-35% की वृद्धि हुई है,** क्योंकि कंपनियों ने नए कार्य परिवेश के प्रति अनुकूलन हेतु अपनी डिजिटल अवसंरचना में आमूल चूल परिवर्तन करना प्रारंभ कर दिया है।
  - घर से कार्य करने की बाध्यताएं, ऑनलाइन शिक्षा, वीडियो–आधारित चिकित्सा परामर्श, ई–कॉमर्स में अत्यधिक वृद्धि आदि के कारण डेटा केंद्रों की मांग में बढ़ोतरी हो रही है।
  - लॉकडाउन के दौरान **डेटा केंद्रों में कार्यरत कर्मचारियों को आवश्यक सेवा प्रदाताओं के रूप में वर्गीकृत किया गया था।**
- इसके अतिरिक्त, **वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 (Personal Data Protection Bill, 2019)** में यह प्रावधान है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उपयोगकर्ताओं के डेटा को देश की सीमाओं के भीतर ही संग्रहित और संसाधित करना आवश्यक होगा। इसके परिणामस्वरूप **डेटा केंद्रों की मांग में अत्यधिक वृद्धि होगी।**
- ज्ञातव्य है कि, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) **देश भर में डेटा केंद्रों की स्थापना हेतु एक राष्ट्रीय नीतिगत फ्रेमवर्क प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहा है।**

सौर परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है

- उद्योग जगत ने विद्युत परियोजनाओं में निवेश को आकर्षित करने के लिए भूमि उपलब्ध कराने और सरकारी अनुमोदन प्रणाली को सरल बनाने हेतु निर्णय प्रक्रिया को तीव्र करने का आग्रह किया है।
- **विद्यमान प्रमुख मुद्दे:**
  - अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली (Inter-State Transmission System: ISTS) के लिए **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय** की **सौर पार्क योजना** के तहत सरकारी भूमि के आवंटन/पंजीकरण में विलंब।
  - अधिकांश राज्यों द्वारा भूमि पंजीकरण के लिए **स्टैम्प शुल्क में छूट** प्रदान नहीं की गई है।
  - **भूमि के गैर–कृषि कार्यों हेतु रुपांतरण** के लिए उच्च शुल्क और विविध अनुमतियों की आवश्यकता होती है।
  - **भूमि रिकॉर्ड अभी भी पूर्णतः डिजीटल रूप में उपलब्ध नहीं हैं** तथा सटीक **भूमि समायोजन (Land Coordinates)** को अंतिम रूप प्रदान करने और वास्तविक स्वामियों की पहचान करने में कई माह लग जाते हैं।
- एक अन्य मुद्दा स्वीकृति/मंजूरी प्राप्त करने से संबंधित है, क्योंकि **विद्युत समवर्ती सूची का एक विषय** है। इसलिए संभावित निवेशकों के साथ–साथ डेवलपर्स को भी मंजूरी प्राप्त करने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों के चक्कर लगाने पड़ते हैं।
- वर्ष 2019 में, भूमि रिक्तीकरण (evacuation) से संबंधित समस्या को दूर करने के लिए **सोलर पार्क्स और अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क विकास कार्यक्रम को संशोधित** किया गया था।
- हाल ही में, केंद्र सरकार ने **अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और भारत की बढ़ती विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए** निवेश एवं **परियोजना विकास की प्रक्रिया को तीव्र करने हेतु परियोजना विकास प्रकोष्ठों (Project Development Cells)** की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की है।

उच्चतम न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (Economically Weaker Section: EWSs) से संबंधित कोटा मामले को पांच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ को सौंप दिया है

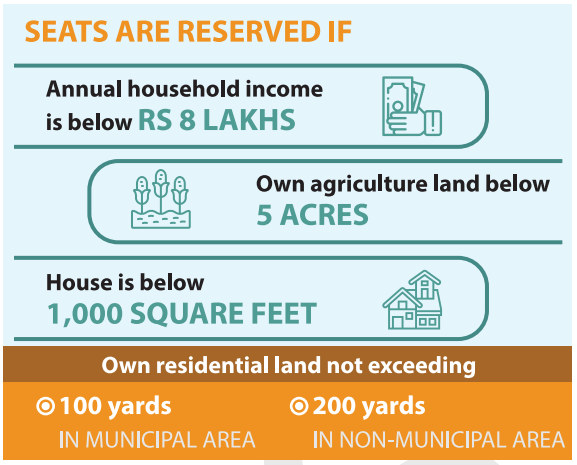

- उच्चतम न्यायालय में कुछ याचिकाकर्ताओं ने "संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम, 2019" को चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क प्रस्तुत किया है कि उपलब्ध **सीटों/पदों का कोई भी हिस्सा केवल आर्थिक मानदंड के आधार पर आरक्षित नहीं किया जा सकता है।**
  - उल्लेखनीय है कि 103वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 के माध्यम से संविधान के **अनुच्छेद 15 और 16** में संशोधन किया गया है।
  - यह संसद और सभी राज्य विधान मंडलों को **निजी एवं सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों तथा सार्वजनिक सेवाओं में** अनुसूचित जातियों (SC)/अनुसूचित जनजातियों (ST) और अन्य पिछड़ा वर्गों (OBCs) के लिए मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWSs) के लिए भी **10% आरक्षण** प्रदान करने में सक्षम करता है।
- याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया है कि यह **संशोधन अधिनियम इंदिरा साहनी वाद में उच्चतम न्यायलय द्वारा निर्धारित की गई 50% की अधिकतम सीमा का अतिक्रमण करता है।**
- उच्चतम न्यायलय ने इस मामले को संविधान पीठ को प्रेषित किया है, क्योंकि यह माना जा रहा है कि **याचिकाकर्त्ताओं द्वारा विधि का एक सारभूत प्रश्न प्रस्तुत किया गया है कि क्या यह विवादित संशोधन अधिनियम संविधान के मूल ढांचे (basic structure) का उल्लंघन करता है या नहीं।**
  - ज्ञातव्य है कि "मूल ढांचे का सिद्धांत" **केशवानंद भारती वाद (वर्ष 1973)** में प्रतिपादित किया गया था। मूल ढांचे के सिद्धांत के तहत उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि संविधान की कुछ आधारभूत विशेषताएँ हैं, जिन्हें संशोधन के माध्यम से परिवर्तित नहीं किया जा सकता।
  - एक संविधान पीठ में **कम से कम** पांच या अधिक न्यायाधीश होते हैं, जिसे किसी वाद में संविधान की व्याख्या के संबंध में विधि के सारभूत प्रश्न पर निर्णय लेने हेतु गठित किया जाता है।

भारत द्वारा 'भारत–संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि' (India-U.N. Development Partnership Fund: IUDPF) में 15.46 मिलियन डॉलर का योगदान किया गया

- 15.46 मिलियन डॉलर के इस अंशदान में 6 मिलियन डॉलर **समग्र निधि (overall fund)** के रूप में है, जिसे प्राप्त करने के लिए सभी विकासशील देश पात्र हैं। शेष **9.46 मिलियन डॉलर** राष्ट्रमंडल देशों के लिए है।
  - यह सभी **सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals: SDGs)** को प्राप्त करने में विकासशील राष्ट्रों को सहायता पहुँचाने की भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
- IUDPF को वर्ष 2017 में स्थापित किया गया था। इसका समर्थन और नेतृत्व भारत द्वारा किया जाता है। इसे **दक्षिण–दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (United Nations Office for South-South Cooperation: UNOSSC)** द्वारा प्रबंधित किया जाता है तथा संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं के सहयोग से इसे कार्यान्वित किया जाता है।
  - वैश्विक स्तर पर और संयुक्त राष्ट्र तंत्र के भीतर **दक्षिण–दक्षिण एवं त्रिकोणीय सहयोग को बढ़ावा देने, इसे समन्वित करने तथा समर्थन प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा (UN General Assembly)** द्वारा वर्ष 1974 में UNOSSC की स्थापना की गयी थी। वर्ष 1974 से ही संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा इसकी (UNOSSC) मेजबानी की जा रही है।
  - **दक्षिण–दक्षिण सहयोग** वस्तुतः राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण और तकनीकी क्षेत्रों में विकासशील देशों के मध्य आपसी सहयोग का एक व्यापक ढांचा है।
    - इसका उद्देश्य **विकासशील देशों की रचनात्मक क्षमता को बढ़ाकर उनकी आत्मनिर्भरता में वृद्धि करना** है ताकि वे अपनी विकास संबंधित समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकें।
  - **त्रिकोणीय सहयोग (Triangular Cooperation) के तहत,** पारंपरिक दाता देश (Traditional Donor Countries) और बहुपक्षीय संगठन (Multilateral Organizations) वित्तीयन, प्रशिक्षण, प्रबंधन एवं तकनीकी प्रणालियों आदि के प्रावधानों के माध्यम से दक्षिण–दक्षिण पहल को साकार करते हैं।

अन्य सुर्खियाँ

मिज़ोरम से विस्थापित ब्रू समुदाय द्वारा पुनर्वास स्थलों की अस्वीकृति (Brus displaced from Mizoram reject resettlement sites)	○ इन पुनर्वास स्थलों का प्रस्ताव **संयुक्त आंदोलन समिति** (Joint Movement Committee) द्वारा दिया गया था। यह समिति त्रिपुरा में गैर–ब्रू समुदाय का एक समग्र समूह है। ○ **ब्रू समुदाय** को रियांग (Reangs) के नाम से भी जाना जाता है। इस समुदाय के लोग मिज़ोरम, त्रिपुरा और दक्षिणी असम के कुछ भागों में निवास करते हैं। ○ वर्ष 1997 में मिज़ो जनजातियों के साथ नृजातीय संघर्ष के पश्चात् ब्रू समुदाय के अधिकांश लोग मिज़ोरम से पलायन कर गए। वर्तमान समय में ये **त्रिपुरा में शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं।** ○ विगत 23 वर्षों से विद्यमान ब्रू–रियांग शरणार्थी संकट को समाप्त करने के लिए इस वर्ष जनवरी माह में ब्रू समुदाय, केंद्र सरकार तथा मिज़ोरम और त्रिपुरा सरकारों के मध्य एक **चतुष्पक्षीय समझौते (quadrilateral agreement) पर हस्ताक्षर किए गए थे।**
शेडस्मार्ट और रेडिएंट कूलिंग प्रौद्योगिकियां (Shadesmart & Radiant Cooling technologies)	○ ये दो प्रौद्योगिकियां **इमारतों में ऊर्जा–दक्ष कूलिंग (शीतलन) को बढ़ावा देती** हैं। ○ **शेडस्मार्ट** एक बाह्य शेडिंग (छाया प्रदाता) प्रणाली है। इसे **हैबिटैट मॉडल फॉर एफिशिएंसी एंड कम्फर्ट** परियोजना के तहत आवासीय एवं वाणिज्यिक भवनों में खिड़कियों हेतु एक अभिनव तथा लागत प्रभावी समाधान के रूप में विकसित किया गया है। ➢ इसे **'विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग' के साथ साझेदारी में 'द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टिट्यूट'** द्वारा विकसित किया गया है। ➢ **रेडिएंट कूलिंग** में, कूलिंग को आम संवहनी एयर कंडीशनिंग के बजाए रेडिएंट हीट ट्रांसफर के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। यह एक दक्ष तकनीक है और बेहतर गुणवत्ता प्रदान करती है।
पोक्कली चावल (Pokkali rice)	○ यह अपनी **लवणीय जल प्रतिरोध (saltwater resistance)** क्षमता के लिए जाना जाता है। केरल के अलाप्पुझा, एर्नाकुलम और त्रिशूर जैसे तटीय जिलों के इसकी कृषि की जाती है। ○ इसे **भौगोलिक संकेतक (GI) टैग** प्राप्त है। ○ **व्यत्तिला–11 (Vyttila-11)** पोक्कली चावल की किस्मों में से एक है। इसे प्रायोगिक आधार पर सुंदरवन के धान के खेतों में उगाया जा रहा है। ➢ सुंदरवन में **अम्फन चक्रवात के उपरांत** लगभग 80 प्रतिशत धान के खेतों में **लवणीय जल के प्रवेश की समस्या** का सामना किया जा रहा है। यदि यहाँ पर **पोक्कली** का प्रयोग सफल रहता है, तो यह किसानों के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है।
विश्व के प्रथम परमाणु हमले की 75वीं वर्षगांठ (75th anniversary of world's first atomic bombing)	○ द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा (जापान) पर **"लिटिल बॉय"** नामक अपना प्रथम परमाणु बम गिराया था। इससे हिरोशिमा शहर का अधिकांश हिस्सा ध्वस्त हो गया था और लगभग 1,40,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ➢ यह अनुमान व्यक्त किया गया था कि इस परमाणु बम की विस्फोटक शक्ति 20,000 टन TNT (ट्राई नाइट्रो टोलुईन) के बराबर थी। ○ अमेरिका ने 9 अगस्त 1945 को नागासाकी (जापान) पर **"फैट मैन"** नामक एक दूसरा परमाणु बम गिराया था।

8468022022, 9019066066
www.visionias.in
दिल्ली लखनऊ जयपुर हैदराबाद पुणे अहमदाबाद चंडीगढ़
/c/VisionIASdelhi /Vision_IAS /visionias_upsc /VisionIAS_UPSC